रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 1, 2001/भाद्र 10, 1923
No. 240] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 1, 2001/BHADRA 10, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2001

विषय : यू के, जर्मनी, ब्राजील और बुलगारिया से भारत में एक्रीलिक फाइबर के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करना।

सं. 42/1/2001-डीजीएडी.—एक्रीलिक फाइबर्स विनिर्माता फोरम, नई दिल्ली ने सहयोगी कंपनियों अर्थात् मैसर्स इंडियन एक्रीलिक्स लि., चंड़ीगढ़, मैसर्स कंसोलिडेटिड फाइबर्स और कैमिकल्स लि., कलकत्ता, मैसर्स पशुपति एक्रीलोन लि., नई दिल्ली के जरिए 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम,1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष याचिका दायर की है जिसमें यू.के., जर्मनी, ब्राजील और बुलगारिया मूल के या वहां से निर्यातित एक्रीलिक फाइबर के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जाच करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है । दो अन्य घरेलू उत्पादकों, अर्थात मैसर्स इंडियन पेट्रोकैमिकल्स एंड कैमिकल्स लि., बड़ौदा, और मैसर्स वर्धमान एक्रीलिक्स लि., लुधियाना ने इस याचिका का समर्थन किया है ।

शामिल उत्पाद

2. वर्तमान याचिका में शामिल उत्पाद सभी डेनियरों में एक्रीलिक फाइबर (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) है । एक्रीलिक फाइबर सिंथेटिक पोलीमर की एक लंबी श्रृंखला होती है जिसमें भार के अनुसार एक्रीलोनाइट्राइल यूनिटों का कम से कम 90% होता है । एक्रीलिक फाइबर, एक्रीलिक स्टेपल फाइबर, एक्रीलिक टो या एक्रीलिक टॉप हो सकता है । याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि एक्रीलिक फाइबर सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण के अध्याय 55 मुख्य शीर्ष 5501 और 5503 और इनसे संबंधित छः अंकीय वर्गीकरण 5501.30 तथा 5503.30 के तहत वर्गीकृत है । तथापि, ये सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के कार्य क्षेत्र में किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है ।

घरेलू उद्योग

यह याचिका सहयोगी कंपनियों, अर्थात मैसर्स इंडियन एक्रीलिक्स लि., चंड़ीगढ़, मैसर्स कंसोलिडेटिड फाइबर एंड कैमिकल्स लि., कलकत्ता, मैसर्स पशुपति एक्रीलोन लि., नई दिल्ली, के जरिए एक्रीलिक फाइबर विनिर्माता फोरम, नई दिल्ली द्वारा दायर की गई है । याचिकाकर्ताओं का एक्रीलिक फाइबर के कुल घरेलू उत्पादन में 50% से ज्यादा हिस्सा बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता उपरोक्त नियमों के नियम 5(3)(क) के अनुसार याचिका दायर करने के आधार संबंधी मापदंडों को पूरा करते हैं । दो अन्य घरेलू उत्पादकों अर्थात मैसर्स इंडियन पैट्रोकैमिकल्स एंड कैमिकल्स लि., बड़ौदा और मैसर्स वर्धमान एक्रीलिक्स लि., लुधियाना ने इस याचिका का समर्थन किया है ।

शामिल देश

4. वर्तमान जांच में शामिल देश यू.के., जर्मनी, ब्राजील और बुलगारिया (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) हैं ।

समान वस्तु

5. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु यू.के., जर्मनी, ब्राजील और बुलगारिया में उत्पादित ,वहां के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु है । इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित वस्तु को उपरोक्त नियमों के अर्थों के भीतर संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है ।

सामान्य मूल्य

6. याचिकाकर्ताओं ने यू.के. में हुई घरेलू बिक्रियों के साक्ष्य के आधार पर यू.के. से किए गए निर्यातों के संबंध में सामान्य मूल्य का दावा किया है । जर्मनी से हुए निर्यातों के संबंध में सामान्य मूल्य का दावा जर्मनी से किसी तीसरे उचित देश को हुए निर्यातों के साक्ष्य के आधार पर किया गया है । ब्राजील और बुलगारिया से हुए निर्यातों के संबंध में सामान्य मूल्य का दावा प्रशासनिक, बिक्री लागत और लाभों के लिए समुचित अभिवृद्धि के साथ संबद्ध वस्तु के उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर किया गया है । ब्राजील और बुलगारिया के संबंध में उत्पादन की परिकलित लागत निकालने के लिए एक प्रमुख कच्ची सामग्री एक्रीलोनाइट्राइल की कीमत के संबंध में साक्ष्य प्रस्तु किए गए हैं ।

निर्यात कीमत

7. याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देशों से एक्रीलिक फाइबर के आयातों के संबंध में डी जी सी आइ एंड एस द्वारा प्रकाशित आकड़ों को प्रस्तुत किया है । कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन, स्वदेशी परिवहन और पत्तन हैंडलिंग प्रभारों इत्यादि के लिए समायोजनों का दावा किया है ।

पाटन मार्जिन

8. इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है ।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

9. क्षति से संबंधित विभिन्न संकेतकों जैसे बाजार हिस्से में कमी, बिक्री में कमी, संबद्ध वस्तु की बिक्री से उचित कीमत प्राप्ति में असमर्थता की वजह से घरेलू उद्योग की बिक्री प्राप्ति, लाभ प्रदता में कमी से समग्र तथा संचयी रूप से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है ।

पाटनरोधी जांच की शुरूआत

10. उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आरोपित पाटन की मौजूदगी उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं ।

जांच की अवधि

11. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च 2001 तक की है ।

सूचना देना

12. संबद्ध देश में निर्यातकों और भारत में आयातकों, जिन्हें इससे संबंधित समझा जाता है, को अलग से लिखा जा रहा है कि वे निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं संबंध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली 110011 को निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढंग से संबंधित सूचना भेजें तथा अपने विचारों से अवगत कराएं कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है ।

समय सीमाः

13. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए । तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना प्रस्तुत करनी होगी ।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

14. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं ।

यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समयावधि के भीतर उसे अन्यथा नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2001.